



# झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 188 राँची, बुधवार,

7 मार्च, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

आदेश

12 फरवरी 2018

संख्या-03नि0पं0-21/2011 रा0नि0आ0 173 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है

कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2015 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदयधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के

पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, गिरिडीह के प्रतिवेदन/अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65'क' 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों/स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	कोडरमा	VI/कोडरमा-05	कंचन देवी, छतरबर, कोडरमा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		VI/कोडरमा-05	वीणा देवी, ग्राम-चेचाई, छतरबर, कोडरमा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3		VI/कोडरमा-06	रीना कपूर, ग्राम-चन्दवारा पश्चिम, चन्दवारा	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4		VI/कोडरमा-07	सरयू प्रसाद वर्मा, ग्राम-बड़की धमराय, चन्दवार	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5		VI/कोडरमा-09	रामधनी यादव, ग्राम-यौगियाटिल्हा, सरमाटांड, जयनगर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6		VI/कोडरमा-09	शिवशंकर साव, ग्राम-जयनगर पूर्वी, जयनगर	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

**ह०/-(अस्पष्ट),**

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग,

झारखण्ड, राँची।

-----